भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AE 215842

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री निपल फाउण्डेशन
जिला मैनपुरी फाइल नं० MAI-0066314
के साथ संलग्न है।
शपथपत्र

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश, आगरा सत्यमेव जयते

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
17.05.24

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AE 215843

यह जनरल स्टाम्प पेपर नीतिपथ फाउन्डेशन .... जिला मथुरा फाइल नं० MAT00 66314 .... के साथ संलग्न है।

नियमावली

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज उत्तर प्रदेश, आगरा

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

17.05.2…

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AE 215844

यह जनरल स्टाम्प पेपर जीविका फाउण्डेशन
जिला मैनपुरी फाइल नं० MAI-2-06314
के साथ संलग्न है।
पंजीकरण प्रमाण पत्र

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबं... उत्तर प्रदेश, आगरा
सत्यमेव जयते

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
17.05.2

सं० 03116/2023-2024 | पत्रावली संख्या AG/MAI/0066314 | दिनांक 17/02/2024

प्रारूप-ब
नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या MAI/07916/2023-2024

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जीनियस फाउण्डेशन, एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी, मैनपुरी , 205261 को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
यह प्रमाण पत्र दिनांक 16/02/2029 तक विधिमान्य होगा ।
आज दिनांक 17/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
9BC4528D9A6C1D4DD21716B4109CB289FC23BCBD
Date: 17/02/2024 5:17:20 PM, Location: Agra.
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

17-F

CamScanner

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : जीनियस फाउण्डेशन

संस्था का पता / Society's Address : एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी,Mainpuri,205261

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

संपर्क संख्या / Contact Number : 7078035035

उप निबंधक सोसाइटीज कार्यालय ... उत्तर प्रदेश, आगरा

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य

बहुउद्देशीय ,

से सम्बंधित है)

1- संस्था का उद्देश्य शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कालेज, पॉलीटेक्निक,आईटीआई, डिग्री कालेज, पी0 जी0 कालेज की स्थापना करना तथा नि:शुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानो व मदरसो व शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानो, व उच्च शिक्षा हेतु नियमानुसार मान्यता प्राप्त कर विद्यालय/शोध संस्थानों आदि की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर युवक-युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।

2- संस्था के द्वारा विकास हेतु यू0पी0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0, सी0बी0एस0सी0, आई0एस0सी0 बोर्डो से मान्यता प्राप्त कर नर्सरी से इण्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी0एड0 बी0टी0सी0, एम0 एड0, एल0 एल0 बी0, बालश्रमिक विद्यालय, कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र, व व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बी0 टेक0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, बी0सी0ए0, प्रबन्धन, महाविद्यालय, तकनीकी, औद्योगिक प्रशिक्षण, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, होटल मैनेजमेन्ट, कैटरिंग टैक्नोलॉजी, एप्लाइड आर्ट एण्ड क्राफ, एवं पॉलीटेक्निक, वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर आदि की स्थापना शासन प्रशासन कि अनुमति के उपरान्त करना ।

3- संस्था का उद्देश्य मेधावी छात्र - छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, एनीमल केयर सेन्टर, स्कूल, कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज एवं हॉस्टल, की स्थापना व संचालन करना। ग्रामीण विकास एवं उत्थान (जीवन स्तर) कार्यक्रम / स्वच्छ जल स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण तथा जीवन उपयोगी, सुलभ कार्यक्रम कुरीति विरोधी कार्यक्रम, नाटक मंचन एवं प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग, औषधीय खेती तकनीकी एवं निर्माण करना ।

4- महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, गर्भवती महिलाओं का नि शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनों व कार्यक्रमों को चलाकर महिलाओं/ नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

5- संस्था का उद्देश्य लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करने हेतु नि:शुल्क दवाएँ व जाँच व एक्स-रे, आदि की सुविधा उपलब्ध करना व ब्लड बैंक की स्थापना कर उसका संचालन करना तथा गरीब असहाय लोगों की सहायता करना।

6- संस्था का उद्देश्य निर्धन असहाय, निराश्रित, विधवा, विकलांग महिलाओं व बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना व उनके लिये प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना, व बच्चों के लिये क्रीड़ा केन्द्रों, व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेल सामिग्री की उचित व्यवस्था करना।

7- संस्था का उद्देश्य महिलाओं व बच्चों की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार समाज कल्याण विभागों आदि से दान, अनुदान, एवं चंदा आदि प्राप्त करना एवं प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ व्यय करना व बाल विद्यालय की स्थापना तथा सरकार द्वारा संचालित मिड डे मील योजना में सक्रिय भागीदारी करना व योजनाओं का संचालन करना।

8- महिलाओं व युवक-युवतियों को स्वरोजगार हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से उनके कल्याण व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्प कला, वास्तुकला दस्तकारी, दरी कालीन ड्राइंग पेंटिंगकला प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण हार्डवेयर, सापटवेयर इन्टरनेट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स फैशन डिजायनिंग, संगीत व नृत्य प्रशिक्षण, मेंहदी कढ़ाई, टैक्सटाइल, डिजायनिंग, ब्यूटीशियन व घरेलू उपकरण आदि मरम्मत का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

9- समाज के उपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों विकलांगों व निराश्रित, लाचार बच्चों-वृद्धजनों के लिये कार्य करना व रोगों के सम्बन्ध में जनता को जागरूकता शिविरों, गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, पोलियो टीका करण, टी0बी0, कैन्सर, फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू चिकिन पॉक्स, एड्स, तथा मानसिक रोग व अन्य संक्रामक रोगों व रक्तदान के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा इनके सम्बंध में भ्रान्तियों को लोगों के मन से दूर कर उन्हे जागरूक बनाना तथा सरकार व गैर सरकारी संस्थानों, निगम, बोर्ड तथा चिकित्सा विभाग द्वारा इनके निराकरण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों में उनका सहयोग करना।

10- समाज की निर्धन, कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाहों का आयोजन कराना एवं परित्यक्ताओं व विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु प्रेरित करना ।

11- विकलांगो के उपचार हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में सहायता प्रदान करना एवं नि:शुल्क चिकित्सा हेतु चिकित्सालय की व्यवस्था व रक्तदान शिविरों का आयोजन करना। बालआश्रम, अनाथालय एवं वृद्धआश्रम, गौशाला, नशा मुक्ति केन्द्र, चिकित्सा तथा अन्य स0 सेवा केन्द्रो व अन्य धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना कर उनका संचालन करना व उन्हे स्वावलम्बी बनाना ।

12- निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों जैसे- स्वास्थ्य परिवार कल्याण, यूनीसेफ, हडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, क्राई, सिप्सा, नाबार्ड, आवार्ड, नीराड, डूडा, सूडा, सिडबी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधी महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन, हस्त वस्त्रशिल्प मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ... विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, राजीव गाँधी फाउण्डेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं अधिकारिता मंत्रालय, पशुपालन विभाग,उ0प्र0

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
,आगरा क्षेत्र आगरा

17.05.24

[illegible] ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, एल.आई.सी. आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनो व कार्यक्रमो को चलाकर [illegible] का सर्वांगीण विकास करना ।

[illegible] सरकार द्वारा नेहरु युवा केन्द्रो के माध्यम से युवक युवतियो को कल्याणकारी योजना की जानकारी प्रदान करना व ग्रामीण अंचलो मे रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध [illegible] व किसान, मजदूरो व जन सामान्य की समस्याओ का समाधान शासन-प्रशासन के सहयोग से समाप्त करना/कराना।

[illegible] संस्था का उद्देश्य पत्र, पत्रिकाओ व पुस्तको का निःशुल्क प्रकाशन कर वितरण करना ।

[illegible] विकलांग व दृष्टिहीन बच्चो के कल्याण हेतु निशुल्क शिक्षा/रोजगार परक शिक्षा, चिकित्सा, आवास, व कृत्रिम अंग आदि की व्यवस्था करना ।

16- जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण कृषि रक्षा, कृषि, आधारित ग्राम उद्योग यांत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध मे कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमो का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना व किसान, मजदूर लोगो का सहयोग करना।

17- संस्था का उद्देश्य लाचार, गरीब, असहाय लोगो को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थो, भोजन, कपड़ो, पुस्तको आदि का वितरण करना ।

18- प्रदूषित कुँओ और जलाशयो की सफाई का अभियान चला कर पर्यावरण व प्रदूषण के सम्बन्ध मे जनता मे प्रचार व प्रसार करना तथा पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण के लिये वृक्षारोपण, वनीकरण व प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धित यंत्रो एवं उपकरणो की व्यवस्था करना ।

19- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागो एवं मंत्रालयो द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐ जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी, लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खडंजा तथा मलिन बस्तियो का सुधार, सफाई व शौचालयो, सामुदायिक केन्द्रो आश्रय स्थल एवं की स्थापना करना/निर्माण करना तथा लोगो को बिजली पानी गैस आदि की बचत करने के लिये जागरुक करना व इनके द्वारा होने वाले हानि लाभ के बारे मे बताना व इनके दुरुपयोग के सम्बध मे जागरुक करना तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना ।

20- समाज से बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवा वर्ग के लोगो, मजदूरो/कारीगरो को तकनीकी व ग्रामोद्योगी शिक्षा प्रदान करना व उन्हे शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हे जागरुक करना व आवश्यकतानुसार बालश्रमिक विद्यालय व ग्रामोद्योगी इकाईयो की स्थापना कर संचालन करना तथा लावारिश लाशो का अन्तिम संस्कार करना।

21- पर्यावरण सुधार हेतु जागरुकता शिविरो का आयोजन कर नागरिको को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह-2 वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियो का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को चलाना व खाली पड़ी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण कार्य कर वनीकरण को बढ़ावा देना व अवैध लकड़ी कटाई को रोकने मे सरकार का सहयोग करना व पर्यावरण की रक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे- ओजोन की परत क्षरण कार्यक्रम, वृक्षारोपण, भूमि अपरदन कार्यक्रम, वायु, जल, ध्वनि, मृदा तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण की समस्या के उन्मूलन के कार्य करना।

22- अंचित महिलाओ एवं अनाथ बच्चो के कल्याण हेतु समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रो, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सॉस्कृतिक कला केन्द्रो व बालश्रमिक बच्चो के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना, व भ्रूण हत्या के सम्बध मे जन-जागृति पैदा करना ।

23- संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे बकरी पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, गौपालन, भैंस पालन, मधुमक्खी पालन आदि बढ़ावा देना, कृषि प्रधान देश मे किसानो की शोचनीय दशा को ध्यान मे रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे मे किसानो को कृषि विशेषज्ञो द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानो मे परस्पर सहयोग, एकता की भावना पैदा करे उन्नति कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार-प्रसार तथा किसानो को इसकी उपयोगिता के बारे मे जानकारी प्रदान करना ।

24- गर्मियो मे प्याऊ तथा सर्दियो मे रात्रि रैन बसेरे की स्थापना करना, व अलाव जलवाना व अन्य समाज सेवी कार्यक्रमो का आयोजन करना ।

25- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अनुसार समाज मे जागृति पैदा करना तथा समाज द्वारा बेटिया गोद लेकर सामूहिक विवाह करना।

26- "संस्था ऐसे पाठ्यक्रमो का न तो संचालन करेगी और न ही कोई उपाधि व प्रमाण पत्र प्रदान करेगी जिसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा संस्थापित बोर्डो/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है संस्था ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो एवं सदस्यो के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है /

Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती मिथलेश यादव	श्री धर्मेन्द्र कुमार	बरनाहल, मैनपुरी	अध्यक्ष	समाज सेवी	9522255520		मिथलेश
2.	श्री सर्वेन्द्र कुमार	श्री ब्रज कुमार	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	उपाध्यक्ष	समाज सेवी	9719722423		सर्वेन्द्र
3.	श्री निशांत यादव	श्री धर्मेन्द्र कुमार	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	प्रबन्धक/सचिव	समाज सेवी	7078035035		Nishant
4.	श्री ब्रजपाल	श्री अतर सिंह	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	उपप्रबन्धक/उपसचिव	समाज सेवी	9719689289		ब्रज
5.	श्रीमती सीमा देवी	श्री अरविन्द कुमार	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	कोषाध्यक्ष	समाज सेवी	9412504766		[illegible]

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज उत्तर प्रदेश, आगरा

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
17.05.24

Nishant Yadav   मिथलेश   सीमा   सर्वेन्द्र कुमार
Arvind

श्री रामपाल सिंह	श्री बाबूराम	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	सदस्य	समाज सेवी	9758179794	
श्री अरविन्द कुमार	श्री सुरजन सिंह	सतूक नगर, बरनाहल, मैनपुरी	सदस्य	समाज सेवी	9522244405	

हस्ती लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्रीमती मिथलेश यादव	श्री धर्मेन्द्र कुमार	बरनाहल, मैनपुरी	समाज सेवी
2.	श्री सर्वेन्द्र कुमार	श्री ब्रज कुमार	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	समाज सेवी
3.	श्री निशांत यादव	श्री धर्मेन्द्र कुमार	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	समाज सेवी
4.	श्री ब्रजपाल	श्री अतर सिंह	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	समाज सेवी
5.	श्रीमती सीमा देवी	श्री अरविन्द कुमार	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	समाज सेवी
6.	श्री रामपाल सिंह	श्री बाबूराम	एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी	समाज सेवी
7.	श्री अरविन्द कुमार	श्री सुरजन सिंह	सतूक नगर, बरनाहल, मैनपुरी	समाज सेवी

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज उत्तर प्रदेश, आगरा सत्यमेव जयते

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन
दिनांक / Date :-28/12/2023
हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
17.05.2(

CamScanner

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : जीनिगरा फाउण्डेशन

संस्था का पता / Society's Address : एमाहसन नगर, बरनाहल, मैनपुरी,Mainpuri,205261

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

सम्पर्क संख्या / Contact Number : 7078035035

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज ... उत्तर प्रदेश आगरा

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	11000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार मे या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप मे देगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होगे
विशेष सदस्य / Special Member	0	संस्था, विशिष्ट सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियो के आधार पर चयनित करती है उनके लिए सदस्यता शुल्क का निर्धारण कार्यकारिणी करेगी
संरक्षक सदस्य / Patron Member	21000	संस्था के संस्थापक ही संरक्षक सदस्य कहलाते हैं संस्था स्थापना के लिया इनके द्वारा संस्था के कोष मे दी गयी चल या अचल सम्पत्ति ही इनका सदस्यता शुल्क होगा
सामान्य सदस्य / General Member	1100	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यो मे आस्था रखते है तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते है वे संस्था के सामान्य सदस्य होगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतिक अपराधो मे न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation : साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, विशेष सदस्य / Special Member, संरक्षक सदस्य / Patron Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक / Meetings : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल मे एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमे बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।

सूचना अवधि / Notice period : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी ।

गणपूर्ति / Quorum : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों मे से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date : संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body : 1- संस्था की प्रबन्धसमिति का समय समय पर चुनाव सम्पन्न कराना । 2- संस्था के नियम विनियमों मे संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना। 3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्य की रूपरेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना

सत्य प्रतिलिपि

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

Nishant Yadav

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
17.05.24

रामपाल सिंह मिथलेश सीमा
सर्वेन्द्र कुमार

CamScanner

/15 UPFSC

...formation : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपप्रबन्धक/उपसचिव-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबन्धक/सचिव-1, सदस्य-2 होगें इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी।

...अवधि / Notice period : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी ।

बैठक / Meetings : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।

गणपूर्ति / Quorum : प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body : 1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों का सुलझाना । 2- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना । 3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना । 4- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/ मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, बैंकों, प्रतिष्ठानों निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना। 5- संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना। 6- प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सदस्यों की संख्या कम से कम 7 व अधिकतम 15 तक बढ़ाई व घटाई जा सकती है।

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats : प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी ।

कार्यकाल / Tenure : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5साल का होगा । -

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body : साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कराया जायेगा

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष — 1. 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना । 2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना । 3- संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की देखभाल करना । 4- संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना । 5- संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करवाना। 6- संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना ।

उपाध्यक्ष — 2. 1- अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना। 2- सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना ।

प्रबन्धक/सचिव — 3. 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना । 2- संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना । 3- संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना आवश्यकतानुसार बैंकों व वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना । 4- अध्यक्ष के निर्देशानुसार संस्था के अंतर्गत संचालित संस्थानों/विधालयों मे कार्यरत कर्मचारियों, कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना। 5- संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना । 6- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना । 7- अध्यक्ष के साथ संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, दान अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल-बाउचरों पर हस्ताक्षर करना । 8- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी कराना व अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

उपप्रबन्धक/उपसचिव — 4. 1- प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थित में उनके स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष — 5. 1- संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं आय व्यय बही पत्रों को तैयार करना। 2- संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान, अनुदान, चंदा आदि प्राप्त करना। 3- अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव के कार्यों में उनका सहयोग करना ।

सदस्य — 1- संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना। 2- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यों में सहयोग करना।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा 2.05.24

CamScanner

...था का कोष / Society's Account Access Details:

पदाधिकारी/Post
1. अध्यक्ष
2. कोषाध्यक्ष
3. प्रबन्धक/सचिव

आय के स्रोत / Source of Income

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Membership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज उत्तर प्रदेश, आगरा
सत्यमेव जयते

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूलड बैंक, पोस्ट ऑफिस,या प्राइवेट बैंक मे संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष एवम प्रबन्धक/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व। / Responsibility for court operations of the society by or against :

संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
   a) साधारण सभा / Genearal Body.
   b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / Dissolution :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will b according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

सत्य प्रतिलिपि

दिनॉक / Date :- 28/12/2023
हस्ताक्षर / Signature :

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
17.05.24

CamScanner